# टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया, सिद्धांतों और युक्तिकरण पर राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

चमकता राजस्थान

रामदास तरुण (ब्यूरो चीफ) जयपुर, 2 जून, 2023 (शुक्रवार): राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) के सहयोग से सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल (CEEP) द्वारा प्रशिक्षण श्रृंखला "ग्रिड से घर तक के अंतर्गत दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रृंखला का उद्देश्य राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली प्रशासन, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना है। श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित द्वितीय कार्यशाला में टैरिफ निर्धारण के तरीकों, वितरण टैरिफ डिज़ाइन एवं याचिका की समीक्षा करने हेतु उपायों सहित सम्बंधित विषयों को शामिल किया गया। कार्यशाला में 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं टैरिफ युक्तिकरण सिद्धांतों और इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से आयोजित की गई।

कार्यक्रम में सीईईपी (CEEP) के सह-संस्थापक, अंशुमन गोठवाल ने अपने वक्तव्य में कहा, "विद्युतअधिनियम 2003 ने नियामक शासन के सिद्धांतों के निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ के निर्धारण में उपभोक्ता की भूमिका सुनिश्चित की है। बिजली दरों की उपयुक्तता एवं विवेकपूर्णता बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।"

उन्होंने वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए विभिन्न घटकों, मांग का अनुमान लगाने की प्रक्रिया, बिजली खरीद योजना और वितरण कंपनियों द्वारा किए गए टैरिफ डिजाइन के साथ सम्बंधित नियामक प्रक्रियाओं का अवलोकन भी प्रस्तुत किया।

टैरिफ के निर्धारण में जन भागीदारी बढ़ाने तथा इससे जुड़े व्यवस्थापिक विषयों पर गहन कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आयोजन का समापन हुआ।